



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 नवम्बर, 2023

कार्तिक 12, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या 872/24-पी-2-2023-63(नियुक्ति)-2011

लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प0आ0-522

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उपधारा (4), (5), (6), (7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003, (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4), (5), (6), धारा 133 और अन्य लागू उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) और जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जवाहरपुर वीयूएनएल) के उपक्रमों सहित कृत्यों और उपक्रमों का यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) में समामेलन व विलयन के माध्यम से अंतरण और निहित करने के प्रयोजन उससे सम्बन्धित आनुषंगिक तथा प्रासंगिक मामलों के लिए एवं उन निबन्धन और शर्तों को अवधारित करने के लिए जिन पर ऐसे अन्तरण या निहित या पुनर्निहित किया जाएगा, एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन)

योजना, 2023

1-(1) यह योजना उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन) योजना, 2023 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा और यह राज्य के बाहर जहाँ कहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और यूपी0 जल विद्युत निगम लिमिटेड के कृत्यों, संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं, कार्यवाहियों और कार्मिकों पर भी लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ

परिभाषाएँ

2-(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस योजना में:-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) से है;

(ख) "आस्तियों" में उत्पादन स्टेशन, संयंत्र, मशीनरी, संबंधित ट्रांसमिशन लाइन सहित उपकरण, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल, प्रसुविधाएं, टावर, मीटर, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और जलाशय, बांध और हाइड्रोलिक कार्य, पुर्जे, उपभोज्य, कच्चा माल, ईंधन, सिविल कार्य प्रतिष्ठापन, प्रगतिशील कार्य, स्क्रेप और भूमि, भवन, कार्यालय, स्टोर, फर्नीचर, फिक्चर्स, वाहन, आवासीय क्वार्टर, अतिथि गृहों एवं उनसे सम्बन्धित सुख सुविधाएं तथा प्रतिष्ठापन, अन्य जंगम एवं स्थावर आस्तियां आदि सम्मिलित हैं।

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(घ) "अन्तरण का प्रभावी दिनांक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अधीन कृत्यों और उपक्रमों के समामेलन और विलयन के माध्यम से अन्तरण और निहित करने के लिए यथा अधिसूचित दिनांक 01-04-2022 से है;

(ङ) "जवाहरपुर वीयूएनएल" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत सीआईएन यू 40102 यूपी 200 एसजीसी 038142 के साथ एक सरकारी कंपनी जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 से है।

(च) "दायित्वों" में दायित्व, ऋण, देयक, बाध्यतायें और कानूनी दायित्व और किसी भी प्रकृति के सरकारी उद्ग्रहण और आकस्मिक दायित्व सहित अन्य जावक/बकाया सम्मिलित होंगे जो अन्तरण के प्रभावी दिनांक से पहले लेन-देन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं;

(छ) "कार्मिक" का तात्पर्य कर्मचारिवृन्द, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी और प्रबंधक चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, से है और इसमें वे लोग सम्मिलित होंगे जो अन्य संगठनों या संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ज) "कार्यवाही" में किसी भी प्रकृति की समस्त कार्यवाहियां, वाद, अपील, शिकायत, याचिकाएं, आवेदन, सुलह संबंधी कार्यवाहियां, मध्यस्थता या कोई अन्य कार्यवाही चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक या अन्यथा, सम्मिलित होंगी;

(झ) "संपत्ति" का तात्पर्य बिजली प्रणालियों, बांधों, सुरंगों, जल संवाहक प्रणालियों के ग्रहण और निकास संरचनाओं, उत्पादन स्टेशन के साथ सहयुक्त संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, पारेषण टावरों, लाइनों, ट्रांसफार्मर, ब्रेकरों, भूमि, भवन, कार्यालयों, स्टोर, प्रतिष्ठापन, फर्नीचर, फिक्चर्स, वाहन, आवासीय क्वार्टर तथा अतिथि गृहों और उससे संबंधित सुख-सुविधाएं तथा प्रतिष्ठापन और अन्य जंगम एवं स्थावर आस्तियां, हाथ में नकदी, बैंक में नकदी, निवेश, पुस्तकीय ऋण-भौतिक और अभौतिक, मूर्त और अमूर्त आस्तियां, प्रसुविधायें, सहमति, प्राधिकार, रजिस्ट्रीकरण, पेटेंट, व्यापार चिन्ह और प्रत्येक प्रकार की शक्तियां, जिनकी प्रकृति और विवरण कुछ भी हो, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, सहजता, सहूलियतें, अनुमोदन, संविदायें, विलेख, योजनाएँ, बन्ध-पत्र, करार और अन्य लिखत तथा ब्याज चाहें किसी भी प्रकृति के और कहीं भी स्थित हों, को सम्मिलित करते हुए समस्त आस्तियों से है;

(ञ) "परिणामी इकाई" या "समामेलित इकाई" का तात्पर्य इस योजना के अधीन राज्य उत्पादन कंपनियों के समामेलन और विलयन के पश्चात् की इकाई अर्थात्, यूपीजेवीएनएल से है;

(ट) "अनुसूची" का तात्पर्य इस योजना से संलग्न अनुसूचियों से है;

(ठ) "योजना" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन) योजना, 2023 से है;

(ड) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ढ) "राज्य उत्पादक कंपनियों" का तात्पर्य यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल से होगा;

(ण) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(त) "सेवात प्रसुविधाएं" का तात्पर्य उपादान, पेंशन, महंगाई भत्ता, अवकाश नकदीकरण और अन्य लागू प्रसुविधाओं से है, जिसमें यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल, जवाहरपुर वीयूएनएल में प्रचलित प्रथा के अनुरूप उपरोक्त प्रसुविधाओं में समुचित पुनरीक्षण करने का अधिकार सम्मिलित है;

(थ) "उपक्रम" का तात्पर्य कृत्यों तथा क्रियाकलापों, आस्तियों, दायित्वों, बाध्यताओं, कार्यवाहियों और उससे संबंधित कार्मिकों की कारंवार इकाई से है;

† (द) "उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) से होगा;

(ध) "यूपीजेवीएनएल" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत सीआईएन यू31901यूपी1985एसजीसी007135 के साथ एक सरकारी कंपनी उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 से है;

(न) "यूपीआरवीयूएनएल" का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत सीआईएन यू 40101 यूपी 198 एसजीसी 005065 के साथ एक सरकारी कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से है।

(2) इस योजना में प्रयुक्त और इस योजना में अपरिभाषित किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 या उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम, 1999 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियमों में उनके लिये समनुदेशित हैं।

3-यूपीजेवीएनएल में यूपीआरवीयूएनएल व जवाहरपुर वीयूएनएल का समामेलन, विलयन और निहित किया जाना-

एक-इस योजना के उपबंधों के अधधीन और अन्तरण का प्रभावी दिनांक यथा दिनांक 01-04-2022 से, समस्त आस्तियों, दायित्वों, संपत्तियों, कार्यवाहियों और कार्मिकों के साथ-साथ यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के कृत्य और उपक्रम राज्य सरकार, यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अग्रतर किए जाने वाले किसी भी कार्य, विलेख या बात के बिना, समस्त आशयों और प्रयोजनों हेतु समामेलन और विलयन के माध्यम से अन्तरित और यूपीजेवीएनएल में निहित होंगे।

दो-उप-खंड (1) के अधीन उपक्रमों का अन्तरण और निहित होना, इस अन्तरण योजना के निबन्धन में, समस्त आशयों और प्रयोजनों हेतु जहां है, जैसा है आधार पर और एक चालू व्यवसाय के रूप में राज्य सरकार या यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा अग्रतर किये जाने वाले किसी कार्य, विलेख या बात के बिना उपक्रमों का समामेलन और विलयन होगा।

तीन-इस योजना के अधीन उपक्रमों और परिणामी इकाई का समामेलन, विलयन, अन्तरण और निहित किया जाना इस योजना को अधिसूचित करने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कार्यवाही के अनुसार संचालित और प्रभावी होगा और राज्य सरकार या यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकार यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल के लेनदारों या अन्य व्यक्तियों सहित बिना किसी और कार्य, विलेख या बात के किया जाएगा।

चार-अन्तरण के प्रभावी दिनांक पर कृत्यों और उपक्रमों के समामेलन, विलयन, अन्तरण और निहित होने पर, निम्नलिखित प्रभावी होंगे:

(क) परिणामी इकाई अर्थात् यूपीजेवीएनएल उक्त प्रयोजन हेतु कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक घोषणा दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।

(ख) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल समापन के बिना समाप्त हो जाएंगे और परिणामी इकाई, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल, आवश्यक घोषणा दाखिल करेंगे एवं यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का समापन किए बिना ऐसे परिसमापन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदान की गई औपचारिकताओं का अनुपालन करेंगे।

(ग) अन्तरण के दिनांक से परिणामी इकाई यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के उपक्रमों के संबंध में या लागू सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपयोग करने की हकदार होंगी और भू-किराया सहित सभी करों और प्रभारों के संदाय हेतु दायी होगी और सभी बाध्यताओं को पूरा करेगी।

(घ) परिणामी इकाई, इस अधिसूचना के अनुसरण में समुचित प्राधिकारियों द्वारा परिणामी इकाई के नाम पर लागू की जाने वाली और बनाई जाने वाली और सम्यक रूप से अभिलिखित की जाने वाली संपत्तियों, आस्तियों और हितों के लिए हक के नामांतरण/प्रतिस्थापन की हकदार होगी।

(ङ) समस्त ऋणों, दायित्वों, समाश्रित दायित्वों, कर्तव्यों और बाध्यताओं, सुरक्षित या असुरक्षित, चाहे यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की लेखा पुस्तकों में उपबंध किया गया हो या नहीं या तुलन-पत्र में प्रकट किया गया हो, को परिणामी इकाई समझा जाएगा और परिणामी इकाई द्वारा उसका सम्यक निर्वहन किया जाएगा।

(च) क्रयकर्ताओं के साथ यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा किए गए विद्युत क्रय करारों सहित सभी संविदाओं, विलेखों, बन्ध-पत्रों, करारों, योजनाओं, व्यवस्थाओं और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखितों और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के संबंध में कार्मिकों की सेवाओं के उपबंध के लिए की गई अन्य संविदायें या जिसके लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल एक पक्षकार है या जिसके लाभ के लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पात्र हो सकते हैं, और जो अन्तरण की प्रभावी दिनांक से ठीक पहले अस्तित्व में हैं या प्रभावी हैं, के विरुद्ध पूरी शक्ति और प्रभाव में रहेंगे या परिणामी इकाई के पक्ष में और पूरी तरह से और प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है मानो, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल, यथास्थिति, के स्थान पर परिणामी इकाई एक पक्षकार या लाभार्थी या उससे उपकृत थी।

(छ) क्रयकर्ताओं के साथ किए गए विद्युत क्रय करारों के अधीन यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के समस्त अधिकार और बाध्यतायें अन्तरण के प्रभावी दिनांक से परिणामी इकाई में अन्तरित और निहित माने जाएंगे और क्रयकर्ता क्रय करेंगे और समझा जाएगा कि उन्होंने परिणामी इकाई से विद्युत क्रय की है।

(ज) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा किसी तीसरे पक्षकार को किसी कर का समनुदेशन/उद्ग्रहण आस्थगन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किन्ही भी समाश्रित दायित्वों को परिणामी इकाई समझा जाएगा।

(झ) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उनकी ओर से किये गये समस्त पट्टे या अन्य समान करार और उनके संबंध में किए गये अन्य सभी करार बिना किसी और कार्य या विलेख के परिणामी इकाई को सौंपे और अन्तरित किए जाएंगे और उसमें निहित होंगे, जैसे कि परिणामी इकाई उसका एक पक्ष है, और परिणामी इकाई समस्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की हकदार होगी और तद्धीन समस्त बाध्यताओं को पूरा करने के लिए दायी होगी।

(ञ) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के संबंध में समस्त परमिट, कोटा, अधिकार, हकदारी, लाइसेंस सहित, किन्तु व्यापार चिन्ह, किरायेदारी, पेटेंट, कॉपी राइट, विशेषाधिकार, शक्तियां, प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं और किसी भी प्रकृति के विवरण लेकिन इन तक ही सीमित नहीं या जिसके लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पक्षकार हैं, या जिनके प्रसुविधा के लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पात्र हो सकते हैं, वे पूर्णतः और प्रभावी रूप से प्रवर्तनीय होंगे जैसे कि, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के स्थान पर, परिणामी इकाई एक पक्षकार या लाभार्थी या इसके लिए उपकृत थी।

(ट) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का संचालन करने के लिए, या यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल को स्वीकृत की गई, कोई कानूनी लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुदान, रियायतें, छूट, अनुमतियां या अनुमोदन या अपेक्षित सहमतियां जिसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी, व्यावसायिक कर, संविदा श्रम रजिस्ट्रीकरण सम्मिलित है, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है, इस अधिसूचना के अनुसरण में, उपक्रमों के निहित होने के साथ-साथ आगे के कार्य या विलेख के बिना परिणामी इकाई में निहित या अन्तरित हो जाएगा।

(ठ) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का संचालन करने के लिए अपेक्षित समस्त कानूनी और नियामक अनुमतियों, अनुमोदनों या सहमतियों का लाभ, इस योजना के अनुसरण में परिणामी इकाई में निहित और उपलब्ध होगा।

(ड) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी प्रकृति के समस्त वाद, दावे, कार्रवाईयां और कार्यवाहियां अन्तरण के प्रभावी दिनांक पर या उससे पहले लंबित और/या संस्थित किए गए इस अधिसूचना में यथा उपबंधित अन्तरित या निहित कृत्यों और उपक्रमों के कारण न तो कम होंगे और न ही किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, और इसे जारी रखा जाएगा तथा परिणामी इकाई द्वारा और/या उसके विरुद्ध प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा जैसे कि वह यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित रहा हो और/या उसके विरुद्ध उत्पन्न हुआ हो और/या संस्थित किया गया हो।

(ढ) परिणामी इकाई अपने कर विवरणी को दाखिल/पुनरीक्षण करने और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा सुसंगत आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी या किसी अन्य कर विधि, चाहे किसी अंतर-कंपनी संव्यवहार के कारण उत्पन्न हों या नहीं, के अधीन संदत की गई समस्त धनराशियों को प्रतिदाय/प्रत्यय का दावा करने और/या सेट ऑफ करने की हकदार होगी। कर विवरणी में इस तरह के पुनरीक्षण करने और प्रतिदाय/प्रत्यय का दावा करने का अधिकार परिणामी इकाई के पक्ष में स्पष्ट रूप से आरक्षित है। अन्तरण के प्रभावी दिनांक से, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा संदेय समस्त करों सहित समस्त या किसी भी दावे के प्रतिदाय को परिणामी इकाई की कर दायित्व या प्रतिदाय/दावे, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में माना जाएगा।

(ण) अन्तरण के प्रभावी दिनांक से और उस समय तक जब तक सुसंगत बैंक की बहियों और अभिलेखों में यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के समस्त बैंक खातों के संबंध में खाताधारक के रूप में परिणामी इकाई का नाम दर्ज किया जाता है, परिणामी इकाई यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के बैंक खातों को संचालित करने की हकदार होगी।

(त) इस योजना के प्रभावी होने पर, इसके उपबंधों के अनुसार अन्तरण की प्रभावी दिनांक को परिणामी इकाई की उधार सीमा, परिणामी इकाई की ओर से किसी और कार्य या विलेख के बिना, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की उधारी द्वारा बढ़ाई जाएगी, और यदि अपेक्षित हो, तो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार अंशधारकों का अनुमोदन प्राप्त करके परिणामी इकाई द्वारा इन सीमाओं को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।

(थ) अन्तरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल को अग्रिम समस्त ऋण और अन्य स्वीकृत सुविधाएं जो आंशिक रूप से आहरित/उपयोग की जाती हैं, परिणामी इकाई को स्वीकृत ऋण/अग्रिम/सुविधाएं बन जाएंगी और उक्त ऋण एवं अग्रिम, अन्तरण के प्रभावी दिनांक से यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या तो आंशिक या पूर्ण रूप से आहरित/उपयोग किया जाएगा और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा आहरित सभी ऋण/अग्रिम और/या अन्य सुविधाओं को अन्तरण के प्रभावी दिनांक को और परिणामी इकाई को उपलब्ध कराए गए अग्रिम और ऋण के रूप में माना जायेगा और उक्त खातों में कोई भी अवशेष परिणामी इकाई को अन्तरित कर दी जाएगी और किसी भी ऋण करार के अधीन यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल या परिणामी इकाई या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी और कार्य या विलेख के बिना यूपीआरवीयूएनएल और जवाहर वीयूएनएल की समस्त बाध्यतायें मानी जाएंगी और परिणामी इकाई की बाध्यतायें बन जाएंगी।

(द) इस योजना के प्रभावी होने पर, परिणामी इकाई समस्त धन वसूल करने और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के संबंध में सभी लंबित संविदाओं और संव्यवहारों को परिणामी इकाई के नाम पर पूरा करने और प्रवर्तित करने की हकदार होगी जहाँ तक यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के अधिकारों और बाध्यताओं के अन्तरण हेतु आवश्यक हो।

लेखा व्यवहार

4-(1) परिणामी इकाई में उपक्रम के अन्तरण और निहित एवं परिणामी समामेलन तथा विलयन का लेखांकन भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "भारतीय लेखा मानक 103: कारबार संयोजन" में यथा अन्तर्विष्ट लेखांकन की ब्याज पद्धति की पूलिंग को लागू करके किया जाएगा।

(2) परिणामी इकाई इस योजना के अनुसरण में इसमें निहित यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की आस्तियों और दायित्वों को अन्तरण के दिनांक के अनुसार उनके पुस्तक मूल्य पर अभिलिखित करेगी।

(3) यूपीजेवीएनएल और यूपीआरवीयूएनएल/जवाहरपुर वीयूएनएल के मध्य इंटर-कॉरपोरेट ऋण या अतिशेष की सीमा तक, उसके संबंध में दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा और किन्हीं भी आस्तियों या दायित्वों की, यथास्थिति, कमी के लिए लेखा पुस्तकों और परिणामी इकाई के अभिलेख में तदनुरूपी प्रभाव दिया जाएगा। अंतरण की प्रभावी दिनांक से ऐसे किसी भी अंतर-कंपनी ऋण या अतिशेष के संबंध में, कोई ब्याज या अन्य प्रभार का प्रोद्भवन नहीं होगा।

(4) उपरोक्त के होते हुए भी, परिणामी इकाई अपने लेखा परीक्षकों के परामर्श से इनमें से किसी भी अतिशेष को किसी भी तरीके से लेखों में रखने के लिए प्राधिकृत है, यदि इसे अधिक समुचित माना जाता है।

(5) सभी तीनों कंपनियों यूपीआरवीयूएनएल, जवाहरपुर वीयूएनएल और यूपीजेवीएनएल की प्राधिकृत अंश पूंजी को परिणामी इकाई की कुल प्राधिकृत अंश पूंजी के रूप में संकलित किया जाएगा।

(6) परिणामी इकाई की निर्गत, अभिदत्त और समादत्त पूंजी परिणामी इकाई की आस्तियों और दायित्वों का शुद्ध होगी और इस योजना की अनुसूची क में यथा उपबंधित ऐसी निर्गत पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले अंश, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन अंशधारकों की न्यूनतम संख्या रखने के लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा छह नामनिर्देशितियों के नाम से जारी किए जाएंगे।

कार्मिकों का
स्थानांतरण

5-एक-कार्मिकों का स्थानांतरण अधिनियम की धारा 133 और अन्य लागू उपबंधों में अंतर्विष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन होगा।

दो-स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक के अनुसार जवाहरपुर वीयूएनएल में प्रतिनियुक्त कर्मियों सहित यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिकों को उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर परिणामी इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा जो स्थानांतरण से ठीक पहले लागू होते। यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिक स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व विद्यमान अपने सम्बन्धित संवर्ग को स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक के बाद भी यूपीजेवीएनएल में स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व विद्यमान कार्मिक के संवर्ग से पृथक बनाये रखेंगे।

तीन-इस तरह के स्थानांतरण पर और अधिनियम के उपबंधों व इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन, कार्मिक, परिणामी इकाई का एक हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनकी रैंक, वेतनमान और पारस्परिक वरिष्ठता क्रमशः जैसा कि यूपीआरवीयूएनएल में स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को थी उसे परिणामी इकाई में बनाए रखा जाएगा और स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सुविधाएं किसी भी तरह से क्रमशः यूपीआरवीयूएनएल में विद्यमान कार्मिक से कम नहीं की जायेंगी।

चार-कार्मिकों का स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात:-

(1) यह कि कार्मिक तब तक स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को विद्यमान लागू नियमावली और विनियमावली द्वारा शासित होंगे, जब तक कि विधि कानून के अनुसार परिवर्तित या पुनरीक्षित नहीं किया जाता है;

(2) स्थानांतरण के आधार पर कार्मिकों के लिए लागू सेवाओं की निबंधन और शर्तें किसी भी तरह से स्थानांतरण दिनांक से ठीक पहले जो उन पर लागू हैं से कम अनुकूल या कमतर नहीं होंगी। तदनुसार स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक पर लागू सेवान्त लाभों सहित वेतन, भत्ते और अन्य आर्थिक लाभों की रक्षा की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जायेगा;

(3) ऐसे समस्त कार्मिकों को समस्त प्रकार से सेवा की निरंतरता प्राप्त होगी;

(4) स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व अर्जित सेवा के सभी लाभों को पूरी तरह से मान्य और संरक्षित किया जाएगा और ऐसे कार्मिकों के किसी भी और सभी सेवांत लाभों के संदाय सहित सभी उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(5) कार्मिकों का स्थानांतरण अग्रतर उन आदेशों के अधीन होगा जो न्यायालयों द्वारा उनकी वरिष्ठता या ऐसे कार्मिकों की सेवा शर्तों से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में स्थानांतरण दिनांक को लंबित कार्यवाहियों में पारित किए जा सकते हैं;

(6) स्थानांतरण के दिनांक को किसी भी कार्मिक के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित कोई भी कार्यवाही या जो स्थानांतरण दिनांक से पहले किये गये कदाचार, चूक, कृत्यों या लोप के संबंध में शुरू की गयी हो, इस तरह के कार्मिकों के स्थानांतरण के कारण समाप्त नहीं होगी और इसे परिणामी इकाई द्वारा जारी रखा जा सकता है जैसे कि इसे परिणामी इकाई द्वारा शुरू किया गया था; और

(7) कर्मचारियों के बकाया दावों को इस स्थानांतरण योजना के कारण निर्वपित नहीं किया जाएगा।

पांच-जहां यूपीआरवीयूएनएल ने अपने द्वारा नियोजित कार्मिकों के लाभ के लिए भविष्य निधि या कोई अन्य निधि स्थापित किया है, उन कार्मिकों से संबंधित धन जिनकी सेवायें इस योजना द्वारा या इसके अधीन स्थानान्तरित की जाती हैं, स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक के अनुसार परिणामी इकाई को दी जाती है, और परिणामी इकाई में उपक्रमों के निहित होने के दिनांक को इस तरह की निधि का क्रेडिट पहले की तरह तब तक जारी रहेगी जब तक कि यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिक के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं हो जाता है और लागू नहीं हो जाता।

6-इस योजना में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक से, इस योजना का हिस्सा बनने वाले किसी भी मामले के संबंध में सभी व्यक्तियों के अधिकार व बाध्यतायें और समामेलन व विलयन की विषय वस्तु परिणामी इकाई तक निर्बंधित होगी और ऐसे व्यक्ति के पास यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल के साथ किसी विलेख, दस्तावेजों, लिखतों, करारों या व्यवस्थाओं में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल, जैसी भी स्थिति हो, के विरुद्ध किसी भी अधिकार या हित का दावा नहीं करेगा/करेगी।

7-(1) यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल, द्वारा या उसके विरुद्ध जैसी भी स्थिति हो किसी भी प्रकृति की सभी कार्यवाहियां, स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को लंबित होने पर, इस योजना के अधीन स्थानांतरण के कारण इसे कम या बंद नहीं किया जायेगा या किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और परिणामी इकाई द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियां जारी रखी जाएंगी, मुकदमा चलाया जाएगा और प्रवृत्त किया जाएगा, जिसे इस योजना और तद्दीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार इसे सौंपा गया है।

(2) उपरोक्त उप-खंड (1) के अधीन आने वाली कार्यवाहियां उसी रीति से और उसी सीमा तक जारी रहेगी, जैसा कि यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध जैसी भी स्थिति हो जारी, अभियोजित और प्रवृत्त होती या लागू की गई होती, यदि इस योजना में विनिर्दिष्ट स्थानान्तरण नहीं किये गये होते।

तीसरे पक्ष के अधिकार और बाध्यताओं का निर्बंधित होना

लंबित वाद, कार्यवाहियां आदि

करों, शुल्कों और उद्ग्रहण से छूट

8-इस योजना के अधीन स्थानांतरण और इसके कार्यान्वयन को राज्य सरकार और उसके स्थानीय निकायों के सभी करों, शुल्कों, उद्ग्रहणों से छूट दी जाएगी।

प्रकीर्ण

9-एक-इस योजना के अधीन उपक्रमों का समामेलन और विलयन अनंतिम होगा।

दो-अंतिम योजना, इस योजना के जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विनिश्चित किसी अन्य अवधि के भीतर जारी की जाएगी। अग्रतर, योजना को अंतिम रूप देते समय, उत्तर प्रदेश सरकार योजना के निबंधन और शर्तों में ऐसी रीति में और ऐसे निबंधन और शर्तों पर संशोधन, परिवर्तन, उपांतर, परिवर्धन, विलोपन या अन्यथा बदलाव कर सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार समुचित समझे।

तीन-इस तरह से अंतिम रूप दी गई योजना के जारी होने पर, योजना के अनुसार किए गए उपक्रम, संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों और कार्यवाहियों का अंतरण अंतिम होगा।

नाम परिवर्तन

10-परिणामी इकाई अर्थात् यूपीजेवीएनएल, कंपनी का नाम उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। तदनुसार, प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् कंपनी का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड होगा।

विधि प्रवर्तन द्वारा अन्तरण

11-इस योजना के अधीन स्थानान्तरण, राज्य सरकार, यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल, जवाहरपुर-वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य, विलेख या बात के बिना, स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक को और से इस योजना की निबंधन और शर्तों के अध्याधीन प्रवर्तित और प्रभावी होगा।

राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा

12-(1) यदि इस योजना के अधीन स्थानान्तरण के संबंध में कोई शंका, विवाद, अन्तर या विवाद्यक उत्पन्न होता है, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन अंतिम होगा।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और इस योजना के अधीन अन्तरण को कार्यान्वित करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव।

अनुसूची-क

(वित्तीय विवरण, अंश पूंजी एवं तुलन-पत्र)

परिणामी इकाई का दिनांक- 31 मार्च 2022 को संमेकित तुलन-पत्र

	निधियों के स्रोत	(धनराशि लाख रु० में)
1	अंशधारियों की निधि	2135993.19
	अंश पूंजी	1765870.78
	अंश आवेदन धनराशि	135744.40
	कोष व आधिक्य	234378.01
2	गैर चालू दायित्व	208516.46
	अन्य वित्तीय दायित्व	161349.79
	प्रावधान	47166.68
3	ऋण निधि: प्रतिभूत	1309250.14
	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन	557821.98
	रुरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन	272793.81
	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	327854.00
	बैंक आफ बड़ौदा	136527.13
	बैंक आफ इण्डिया	10867.36
	इंडियन बैंक	3385.87
4	ऋण निधि: अप्रतिभूत	1226209.65
	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन	572875.51
	रुरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन	653334.14
	निधियों के स्रोत का योग	4879969.45
	निधियों का उपयोग	धनराशि
	स्थाई आस्तियां	3215364.09
	सकल ब्लाक	1187751.08
	घटायें: संचयी हास	2027613.01
5	शुद्ध ब्लाक	2143335.54
6	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	371180.07
7	विनियोग	368686.85
	संयुक्त उपक्रमों व सहायिकियों में विनियोग	2493.21
	विनियोग	79436.24
8	अन्य गैर चालू आस्तियां	
9	चालू आस्तियां, ऋण व अग्रिम	975919.19
	भण्डार एवं कल पुर्जे	127207.56
	विविध देनदार (यूपीपीसीएल से प्राप्त)	580878.91
	रोकड़ एवं बैंक अवशेष	96280.11
	अन्य चालू आस्तियां	27478.86
	ऋण व अग्रिम	144073.74
	घटायें:	
10	चालू दायित्व व उपबन्ध	717514.59
	शुद्ध चालू आस्तियां	258404.60
	निधियों के उपयोजन का योग	4879969.45

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 872/XXIV-P-2-2023-63(Niyukti)-2011, dated January 3, 2023 :

No. 872/XXIV-P-2-2023-63(Niyukti)-2011

Dated Lucknow, November 3, 2023

IN exercise of the power conferred by sub section (4), (5), (6) of Section 131, Section 133 and other applicable provisions of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) read with sub sections (4), (5), (6), (7) of Section 23 of the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (UP Act No. 24 of 1999), the Governor hereby makes the following Scheme for purpose of transfer and vesting by way of amalgamation and merger of the functions and undertakings including the undertakings of Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (UPRVUNL) and Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited (Jawaharpur VUNL) with the U.P. Jal Vidyut Nigam Limited (UPJVNL) and for matters incidental and ancillary thereto and for determining the terms and conditions on which such transfer or vesting or re-vesting shall be made.

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REFORMS (AMALGAMATION AND MERGER OF STATE GENERATING COMPANIES) SCHEME, 2023

Short title, extent and commencement

1. (1) This Scheme will be called the Uttar Pradesh Electricity Reform (Amalgamation and Merger of State Generating Companies) Scheme, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh, and shall also apply to the functions, the properties, interests, rights, liabilities, obligations, proceedings and personnel of Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and the U.P. Jal Vidyut Nigam Limited wherever situated outside the State.

(3) It shall come into force on and from the date of its notification in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In this Scheme, unless there is any repugnancy in the subject or context:-

(a) "Act" refers to the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) as amended from time to time;

(b) "Assets" includes generating stations, plants, machinery, equipment including associated transmission lines, transformers, switch gear, switch yard, cables, facilities, towers, meters, information technology systems and reservoirs, dams and hydraulic works, spares, consumables, raw materials, fuel, civil work installations, works in progress, scraps and land, buildings, offices, stores, furniture, fixtures, vehicles, residential quarters, guest houses and amenities and installations pertaining thereto, other moveable and immoveable assets, etc.

(c) "Commission" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(d) "Effective Date of Transfer" means the 01-04-2022 as notified by the Government of Uttar Pradesh for transfer and vesting by way of amalgamation and merger of the functions and Undertakings under this Scheme.

(e) "Jawaharpur VUNL" means Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited a Government company within the meaning of the Companies Act, 2013, with CIN U40102UP2009SGC038142.

(f) "Liabilities" shall include liabilities, debt, dues, obligations and other outgoing/outstandings including statutory liabilities and Government levies of whatever nature and contingent liabilities which may arise in regard to the dealings before the Effective Date of Transfer;

(g) "Personnel" means staff, workmen, employees, officers and managers by whatever name called and shall include those on deputation to other organizations or institutions.

(h) "Proceedings" shall include all proceedings of whatever nature, suits, appeals, complaints, petitions, applications, conciliatory proceedings, arbitrations or any other proceedings whether civil or criminal or otherwise;

(i) "Property" means all assets including power systems, dams, tunnels, intake and outlet structures of water conductor systems, generating stations with associated plant, machinery, equipment, transmission towers, lines, transformers, breakers, land, building, offices, stores, installations, furniture, fixtures, vehicles, residential quarters and guest houses and amenities and installations pertaining thereto and other movable and immovable assets, cash in hand, cash at bank, investments, book debts- corporeal and incorporeal, tangible and intangible assets, benefits, consents, authorities, registrations, patents, trademarks and powers of every kind, nature and description whatsoever, privileges, liberties, easements, advantages, approvals, contracts, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments and interest of whatever nature and wherever situate;

(j) "Resulting Entity" or "Amalgamated Entity" shall mean the Entity after the amalgamation and merger of the State Generating Companies under this Scheme, *i.e.* UPJVNL;

(k) "Schedule" shall mean the schedules appended to this Scheme.

(l) "Scheme" means this Uttar Pradesh Electricity Reform (Amalgamation and Merger of State Generating Companies) Scheme, 2023;

(m) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(n) "State Generating Companies" shall mean the UPJVNL, UPRVUNL and Jawaharpur VUNL;

(o) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(p) "Terminal Benefits" means the Gratuity, Pension, Dearness Allowance, Leave Encashment and other applicable benefits including the right to have the appropriate revisions in the above benefits consistent with the practice that were prevalent in the UPRVUNL, UPJVNL, Jawaharpur VUNL;

(q) "Undertaking" means the business unit with functions and activities, assets, liabilities, obligations, proceedings and personnel related thereto;

(r) "UP Reforms Act" shall mean the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (UP Act No. 24 of 1999);

(s) "UPJVNL" means U.P. Jal Vidyut Nigam Limited, a Government company within the meaning of the Companies Act, 2013, with CIN U31901UP1985SGC007135;

(t) "UPRVUNL" means the Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. a Government company within the meaning of the Companies Act, 2013 with CIN U40101UP1980SGC005065.

(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined in this Scheme but defined in the Electricity Act, 2003 or UP Reforms Act, 1999 shall have the same meaning as ascribed to it in the said Acts.

3.(i). Subject to the provisions of this Scheme and with effect from 01.04.2022 as the Effective Date of Transfer, the functions and undertakings of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL alongwith all Assets, Liabilities, Properties, Proceedings and Personnel shall stand transferred to by way of amalgamation and merger and vested in UPJVNL, for all intents and purpose, without any further act, deed or thing to be done by any person or authority including the State Government, UPJVNL, UPRVUNL or Jawaharpur VUNL.

(ii). The transfer and vesting of the Undertakings under sub-clause (1) shall constitute an amalgamation and merger of the undertakings on as is where is basis and as a going concern, in terms of this transfer scheme, for all intents and purpose, without any further act, deed or thing to be done by the State Government or UPJVNL, UPRVUNL or Jawaharpur VUNL or any other person or authority.

(iii). The Amalgamation, merger, transfer and vesting of the Undertakings and the Resulting Entity under this Scheme shall operate and be effective pursuant to action of the State Government of Uttar Pradesh notifying this Scheme and without any further act, deed or thing to be done by the State Government or UPJVNL, UPRVUNL or Jawaharpur VUNL or any other person or Authority including the creditors or other persons dealing with the UPJVNL, UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

Amalgamation,
merger and
vesting of
UPRVUNL
and
Jawaharpur
VUNL in
UPJVNL

(iv). On the amalgamation, merger, transfer and vesting of the functions and Undertakings on the Effective Date of Transfer, the following shall be effective:-

(a) the Resulting Entity *i.e.* UPJVNL shall take necessary steps to file necessary declaration with the Registrar of Companies for the said purpose.

(b) UPRVUNL and Jawaharpur VUNL shall stand liquidated without winding up and the Resulting Entity, UPRVUNL and Jawaharpur VUNL shall file necessary declaration and comply with the formalities provided for under the Companies Act, 2013 or any other law for the time being in force for such liquidation without winding up of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

(c) The Resulting Entity shall be entitled to exercise all rights and privileges and be liable to pay all taxes and charges including ground rent and fulfil all obligations, in relation to or applicable to the Undertakings of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL as from the Date of Transfer.

(d) The Resulting Entity shall be entitled to the mutation/substitution of the title to the properties, assets and interests of to be applied for and to be made and duly recorded in the name of the Resulting Entity by the appropriate authorities pursuant to this notification.

(e) All debts, liabilities, contingent liabilities, duties and obligations, secured or unsecured, whether provided for or not in the books of accounts or disclosed in the balance sheets of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, shall be deemed to be that of Resulting Entity and the same shall be duly discharged by the Resulting Entity.

(f) All contracts, deeds, bonds, agreements, schemes, arrangements and other instruments of whatsoever nature including the Power Purchase Agreement entered into by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL with Procurers and other contracts entered for provision of services of personnel in relation to UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, or to which UPRVUNL and Jawaharpur VUNL is a party or to the benefit of which UPRVUNL and Jawaharpur VUNL may be eligible, and which are subsisting or having effect immediately before the Effective Date of Transfer, shall remain in full force and effect against or in favour of the Resulting Entity and may be enforced as fully and effectually as if, instead of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, the Resulting Entity had been a party or beneficiary or obligee thereto, as the case may be.

(g) All rights and obligations of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL under the Power Purchase Agreement entered into with the Procurers shall stand transferred and vested with the Resulting Entity from the Effective Date of Transfer and the Procurers shall procure and deemed to have procured electricity from the Resulting Entity.

(h) Any contingent liabilities arising out of or in connection with the assignment of any tax/levy deferrals by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL to any third party shall be deemed to be that of the Resulting Entity.

(i) All leases or other like agreements and all other agreements entered into in relation thereto or in connection therewith, by or behalf of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL shall stand assigned and transferred to and vested in the Resulting Entity without further act or deed, as if the Resulting Entity is a party thereto, and the Resulting Entity shall be entitled to exercise all rights and privileges and shall be liable to perform all obligations thereunder.

(j) All permits, quotas, rights, entitlements, licenses including but not limited to those relating to trademarks, tenancies, patents, copy rights, privileges, powers, facilities of every kind and description of whatsoever nature in relation to UPRVUNL and Jawaharpur VUNL or to which UPRVUNL and Jawaharpur VUNL is party, or to the benefits of which UPRVUNL and Jawaharpur VUNL may be eligible shall be enforceable as fully and effectually as if, instead of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, the Resulting Entity had been a party or beneficiary or obligee thereto.

(k) Any statutory licenses, no-objection certificates, grants, concessions, exemptions, permissions or approvals or consents required to carry on operations of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, or granted to UPRVUNL and Jawaharpur VUNL including, but not limited to Excise, Customs, Sales Tax, Service Tax, GST, Professional Tax, Contract Labour registration shall stand vested in or transferred to the Resulting Entity without further act or deed along with and upon the vesting of Undertakings, pursuant to this notification.

(l) The benefit of all statutory and regulatory permissions, approvals or consents required to carry on the operations of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, shall vest in and become available to the Resulting Entity pursuant to this Scheme.

(m) All suits, claims, actions and proceedings of whatsoever nature by or against UPRVUNL and Jawaharpur VUNL pending and / or instituted on or before the Effective Date of Transfer shall neither abate nor shall in any way be prejudicially affected by reason of the functions and Undertakings, having been transferred to or vested in as provided in this notification and the same shall be continued and be enforced by and/or against the Resulting Entity as effectually as if the same has been pending and/or arising against and/or instituted by or against UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

(n) The Resulting Entity shall be entitled to file/revise its tax returns and to claim refund/credits and/or set off all amounts paid by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL under the relevant income tax, sales tax, service tax, GST or any other tax laws, whether or not arising due to any inter-company transactions. The rights to make such revisions in the tax returns and to claim refunds/credits are expressly reserved in favour of the Resulting Entity. With effect from the Effective Date of Transfer, all taxes payable by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL including all or any refunds of the claims shall be treated as the tax liability or refunds/claims, as the case may be, of the Resulting Entity.

(o) From the Effective Date of Transfer and till such time as the name of the Resulting Entity is entered as the account holder in respect of all the bank accounts of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL in the relevant banks' books and of records, the Resulting Entity shall be entitled to operate the bank accounts of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

(p) Upon the coming into effect of this Scheme in accordance with the provisions hereof, the borrowing limits, of the Resulting Entity as on Effective Date of Transfer, without any further act or deed on the part of Resulting Entity shall stand enhanced by the borrowing of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, and if so required, these limits as enhanced may be increased from time to time by the Resulting Entity, by obtaining shareholders' approval in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013.

(q) All the loans advanced and other facilities sanctioned to UPRVUNL and Jawaharpur VUNL by the bankers/financial institutions prior to the Effective Date of Transfer which are partly drawn/utilised shall become the loans/advances/facilities sanctioned to the Resulting Entity and the said loans and advances shall be drawn/utilised either partly or fully by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL from the Effective Date of Transfer and all the loans/advances and/or other facilities so drawn UPRVUNL and Jawaharpur VUNL shall on the Effective Date of Transfer be treated as the advances and loans made available to the Resulting Entity and any balance in the said accounts shall be transferred to the Resulting Entity and all the obligations of UPRVUNL and Jawahar VUNL under any loan agreement shall be construed and shall become the obligation of the Resulting Entity without any further act or deed on the part of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL or the Resulting Entity or any other person.

(r) Upon the coming into effect this scheme, the Resulting Entity shall be entitled to realize all the money and complete and enforce all pending contracts and transactions in respect of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL in the name of the Resulting Entity in so far as may be necessary until the transfer of rights and obligations of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

Accounting
Treatment

4. (1) The transfer and vesting and consequent amalgamation and merger of the undertaking in the Resulting Entity would be accounted for by applying the pooling of interest method of accounting as contained in the "Indian Accounting Standard 103: Business Combinations" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(2) The Resulting Entity shall record the assets and liabilities of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL vested in it pursuant to this Scheme, at their book value as on the Date of Transfer.

(3) To the extent that there are inter-corporate loans or balances between UPJVNL and UPRVUNL/Jawaharpur VUNL, the obligations in respect thereof shall be discharged and corresponding effect shall be given in the books of account and records of Resulting Entity for the reduction of any assets or liabilities, as the case may be. There will be no accrual of interest or other charges in respect of any such inter-company loans or balances with effect from the Effective Date of Transfer.

(4) Notwithstanding the above, the Resulting Entity in consultation with its auditors is authorized to account any of these balances in any manner whatsoever, if considered more appropriate.

(5) The authorised share capital of all the three companies UPRVUNL, Jawaharpur VUNL and UPJVNL shall be aggregated as the total Authorised Share Capital of the Resulting Entity.

(6) The issued, subscribed and paid up capital of the Resulting Entity shall be the net of the Assets and Liabilities of the Resulting Entity and the shares representing such issued capital as provided in Schedule A to this Scheme, shall be issued in the name of State Government and the six nominees designated by the State Government, to have the minimum number of shareholders under the provisions of the Companies Act, 2013.

Transfer of
Personnel

5. (i). The transfer of Personnel shall be subject to the terms and conditions contained in Section 133 and other applicable provisions of the Act.

(ii). The Personnel of UPRVUNL, including those deputed to Jawaharpur VUNL as on Effective Date of Transfer shall stand transferred to the Resulting Entity on the same terms and conditions as would have been applicable immediately prior to transfer. The Personnel of UPRVUNL shall maintain their respective cadres as was existing prior to Effective Date of Transfer distinct and separate from the cadre of the Personnel in UPJVNL existing prior to Effective date of Transfer, even after the Effective Date of transfer.

(iii). On such transfer and subject to the provisions of the Act and other provisions of this Scheme, the personnel shall form a part of the Resulting Entity but their rank, scale of pay and *inter-se* seniority as existing in the UPRVUNL, respectively on the Effective Date of Transfer shall be maintained in the Resulting Entity and the retirement benefits and other facilities shall in no way be reduced than the one existing in the UPRVUNL respectively, on the Effective Date of Transfer.

(iv). The transfer of the personnel shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) That the personnel shall be governed by the applicable Rules and Regulations existing as on the Effective Date of Transfer till the same is varied or revised in accordance with law;

(b) The terms and conditions of the services applicable to the personnel on transfer shall not in any way be less favourable than or inferior to those applicable to them immediately before the Transfer Date. Accordingly, the salary, allowances and other pecuniary benefits including terminal benefits applicable on the Effective Date of Transfer shall be protected and shall not be changed in any manner;

(c) All such personnel shall have continuity of service in all respects;

(d) All benefits of service accrued before the Effective Date of Transfer shall be fully recognized and protected and taken into account for all purposes including for payment of any and all terminal benefits of such Personnel;

(e) The transfer of Personnel shall be further subject to the orders that may be passed by the Courts in the proceedings pending as on the Transfer Date in regard to their seniority or other matters concerning the service conditions of such personnel;

(f) Any proceedings including disciplinary proceedings pending against any Personnel as on the Transfer Date or which may be initiated in relation to misconduct, lapses or acts of commission or omission committed before the Transfer Date shall not abate by reason of transfer of such Personnel and the same may be continued by the Resulting Entity as if the same had been initiated by Resulting Entity; and

(g) The outstanding claims of employees shall not be extinguished because of this Transfer Scheme.

(v) Where UPRVUNL, has established a provident fund or any other fund, for the benefit of the Personnel employed by it, the moneys relatable to the Personnel whose services are transferred, by or under this Scheme to Resulting Entity standing as on Effective Date of Transfer to the credit of such fund shall on the date of vesting of the Undertakings in Resulting Entity, continue as before until such time that an alternate mechanism is developed as acceptable to the Personnel of UPRVUNL and the same is implemented.

6. Except as provided otherwise in this Scheme, from the Effective Date of Transfer, the rights and obligations of all persons in relation to any matter forming part of this Scheme and subject matter of amalgamation and merger shall be restricted to Resulting Entity and notwithstanding anything to the contrary contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the UPRVUNL or Jawaharpur VUNL, he or she shall not claim any right or interest against the UPRVUNL or Jawaharpur VUNL, as the case may be.

7. (1) All Proceedings of whatever nature by or against UPRVUNL or Jawaharpur VUNL, as the case may be, pending on the Effective Date of Transfer shall not abate or discontinue or otherwise in any way prejudicial be affected by reason of the transfer under this Scheme and the proceedings shall be continued, prosecuted and enforced by or against the Resulting Entity to whom the same are assigned in accordance with this Scheme and orders issued thereunder.

Rights and
Obligations of
third parties
restricted

Pending Suits,
Proceedings
etc

(2) The proceedings covered under sub-clause (1) above shall be continued in the same manner and to the same extent as it would or might have been continued, prosecuted and enforced by or against UPRVUNL or Jawaharpur VUNL, as the case may be, if the transfers specified in this Scheme had not been made.

Exemption from
Taxes, duties
and levies

8. The transfers under this Scheme and its implementation shall be exempted from all taxes, duties, levies of the State Government and its local bodies.

Miscellaneous

9. (i). The amalgamation and merger of Undertakings under this scheme shall be provisional.

(ii). The final Scheme shall be issued within one year from the date of issuance of this Scheme or the any other period decided by Government of Uttar Pradesh. Further while finalising the Scheme, Government of Uttar Pradesh may amend, vary, modify, add, delete or otherwise change terms and conditions of the Scheme in such manner and on such terms and conditions as Government of Uttar Pradesh may consider appropriate.

(iii). On issue of such Scheme so finalised, the transfer of undertaking, properties, interests, rights, liabilities and proceedings made in accordance with the scheme shall become final.

Change in the
Name

10. The Resulting Entity *i.e.* UPJVNL shall take necessary steps to change the name of the Company from U.P. Jal Vidyut Nigam Limited to U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited. Accordingly, after completion of the process, the name of the Company shall be U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited.

Transfer by
Operation of
Law

11. The transfers under this Scheme shall operate and be effective on and from the Effective Date of Transfer, without any further act, deed or thing to be done by the State Government, UPJVNL, UPRVUNL, Jawaharpur VUNL, or any other person, subject to the terms and conditions of this Scheme.

Decision of State
Government to
be final

12. (1) If any doubt, dispute, difference or issue arises in regard to the transfers under this Scheme, the decision of the State Government thereon shall be final, subject to the provisions of the Act.

(2) The State Government may, by order published in the Official *Gazette*, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfers under this Scheme.

By order,
MAHESH KUMAR GUPTA,
Apar Mukhya Sachiv.

SCHEDULE A

(Financials, Share Capital and Balance Sheet)

Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2022 of Resulting Entity-

	Sources of Funds	Amount (Rs. In Lakh)
1	Shareholder's Fund	2135993.19
	Share Capital	1765870.78
	Share Application Money	135744.40
	Reserves and Surplus	234378.01
2	Non Current Liabilities:	208516.46
	Other financial libilites	161349.79
	Provisions	47166.68
3	Loan Fund: Secured	1309250.14
	Power Finance Corporation	557821.98
	Rural Electrification Corporation	272793.81
	State bank of India	327854.00
	Bank of Baroda	136527.13
	Bank of India	10867.36
	Indian Bank	3385.87
4	Loan Fund: Unsecured	1226209.65
	Power Finance Corporation	572875.51
	Rural Electrification Corporation	653334.14
	Total Sources of Funds	4879969.45
	Application of Funds	Amount
	Fixed Assets	
	Gross Block	3215364.09
	Less: Accumulated Depreciation	1187751.08
5	Net Block	2027613.01
6	Capital Work in Progress	2143335.54
7	Investment	371180.07
	Investment Insubsidiaries and Joint Ventures	368686.85
	Investment	2493.21
8	Other Non Current Assets	79436.24
9	Current Assets, Loans and advances	975919.19
	Store and Spares	127207.56
	Sundry Debtors (Receivables from UPPCL)	580878.91
	Cash and Bank Balances	96280.11
	Other Current Assets	27478.86
	Loans and Advances	144073.74
	Less:	
10	Current Liabilities and Provision	717514.59
	Net Current Assets	258404.60
	Total Application of Funds	4879969.45

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 629 राजपत्र-2023-(1907)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 7 सा० ऊर्जा-2023-(1908)-250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।